UPRB010020112025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06246

दाण्डिक निगरानी सं०–129/2025

दीपक कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र हरिबाबू गुप्ता नि० 98/15 प्रभुटाउन चंद्र नगर थाना कोतवाली नगर, जिला रायबरेली।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– शरद कुमार उम्र 41 वर्ष पुत्र मिश्री लाल हेड कैशियर वैल्यू गैलेक्सी इन्फ्रा डेवलपर्स शाखा कैनाल रोड, जिला रायबरेली वर्तमान निवासी श्री नगर कालोनी, इस्माइलपुर आंशिक थाना तम्बौर जिला सीतापुर, स्थाई पता– ग्राम व पो० बिसवां खुर्द थाना तम्बौर, जिला– सीतापुर।

2– उ०प्र० राज्य द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल, रायबरेली।

.......विपक्षीगण

निर्णय

1– न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रायबरेली द्वारा परिवाद सं०–30843/2023 दीपक कुमार बनाम शरद कुमार अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट थाना कोतवाली, रायबरेली में पारित आदेश दिनांकित 06.03.2025 के विरूद्ध यह निगरानी संदर्भित वाद के परिवादी द्वारा सत्र न्यायाधीश रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अंतरित होकर निस्तारण वास्ते इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया।

2– विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.03.2025 के माध्यम से परिवादी का परिवाद अपरिपक्व एवं वाद कारण उत्पन्न होने के पूर्व दायर किये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है।

3– संक्षेप में निगरानीकर्ता का कथन है कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रदत्त चेक सं०–000069 मु० तीन लाख रूपये दिनांक 28.06.2023 IDFC First Bank गोमती नगर, शाखा ग्राउंड फ्लोर 3/296 जनपद, लखनऊ खाता सं०–10049920165 एकाउंट पेयी जो कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने खाता सं०–123263300000051 Yes Bank Ltd. रायबरेली में भुगतान हेतु लगाया गया जो कि बैंक द्वारा दिनांक 11.10.2023 को "खाता ब्लाक होने के कारण" अनादृत कर दी गयी। परिवादी ने दिनांक 19.10.2023 को पंजीकृत डाक द्वारा विधिक नोटिस प्रतिपक्षी को भेजकर चेक अनादृत होने की सूचना दिया और पंद्रह दिनों के भीतर तीन लाख रूपयों के भुगतान की मांग किया। प्रतिपक्षी द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर तीन लाख रूपये का भुगतान करने में असफल होने पर निगरानीकर्ता ने परिवाद सं०–30843/2023 न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.11.2023 को अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता द्वारा परिवाद पत्र के साथ समस्त दस्तावेज दाखिल किये गये। विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक

06.03.2025 को परिवादी का परिवाद अपरिपक्व होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नत आदेश में कहा गया है कि बैंक द्वारा चेक अपर्याप्त धनराशि के आधार पर अनादृत किया गया है जब कि बैंक रिटर्न मेमो में खाता ब्लाक होने का कारण दर्शाया गया है। विद्वान न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में कहा गया है कि ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार उक्त नोटिस विपक्षी को दिनांक 01.11.2023 को सर्व हो गया जब कि ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.11.2023 को Item प्रेषक को वापस कराया जाना दर्शाया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश मनमाना एवं विधिविरूद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग न करके तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का सम्यक परिशीलन न करके प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि व्यवस्थाओं के विरूद्ध है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.03.2025 निरस्त कर निगरानी स्वीकार किया जाये।

4– प्रतिपक्षी द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि निगरानी के आधार अस्पष्ट, भ्रामक एवं विधि के स्थापित प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायपूर्ण एवं विधिसम्मत है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए एवं न्यायिक बुद्धि व विवेक का प्रयोग करते हुए अवर न्यायालय द्वारा विधिक आदेश पारित किया गया है। परिवाद में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार चेक दिनांक 11.10.2023 अनादृत किया गया। दिनांक 19.10.2023 को परिवादी द्वारा विधिक नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया। दिनांक 01.11.2023 को प्रतिपक्षी पर नोटिस तामील हुआ और दिनांक 10.11.2023 को परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया। नोटिस तामील होने की तिथि 01.11.2023 से विपक्षी को आज्ञापक रूप से पंद्रह दिवस का समय दिया जाना विधितः आवश्यक है और उक्त पंद्रह दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात् उक्त पंद्रह दिवस की अवधि पूर्ण होने के अगले दिन ही वाद का कारण उत्पन्न हो गया। परिवादी ने विपक्षी पर नोटिस तामील होने की तिथि 01.11.2023 के दसवें दिन दिनांक 10.11.2023 को बिना वाद कारण उत्पन्न हुए ही परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया जिस कारण परिवाद अपरिपक्व की परिधि में है, जिसके संदर्भ में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश विधि व्यवस्थाओं के आलोक में पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5– मैंने उभयपक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा निगरानी पत्रावली, प्रश्नगत आदेश एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानी के निस्तारण के प्रायोजन से सुसंगत तथ्य यह है कि परिवादी मेहनत–मजदूरी करके अपनी रोजी–रोटी चलाता है। जब कि विपक्षी वैल्यू गैलक्सी इंफ्रा डेवलेपर्स शाखा कैनाल रोड जनपद रायबरेली में हेड कैशियर के पद पर कार्यरत है। विपक्षी की उपरोक्त फर्म द्वारा परिवादी को लालच व प्रलोभन देकर के परिवादी का रूपया निवेश कराया गया और पैसा, पूर्ण रूप से सुरक्षित होने का प्रमाण भी दिया गया जिसे बाद में धोखाधड़ी करके हड़प लिया गया। जानकारी होने पर परिवादी विपक्षी से मिला तब विपक्षी द्वारा परिवादी को एक चेक सं०–000069, मु० तीन लाख रूपये दिनांकित 28.06.2023 IDFC First Bank गोमती नगर, शाखा ग्राउंड फ्लोर 3/296 जनपद लखनऊ खाता सं०–10049920165 की एकाउंट पेयी चेक परिवादी को दिया और परिवादी को भरोसा दिलाया गया कि उसके द्वारा निवेश किया गया रूपया सुरक्षित है। विपक्षी द्वारा दिये गये चेक को परिवादी द्वारा दिनांक 11.10.2023 को अपने खाता सं०–123263300000051 Yes Bank Ltd. रायबरेली में भुगतान हेतु लगाया गया

परंतु विपक्षी द्वारा दिया गया चेक खाता ब्लाक होने के कारण अनादृत कर दिया गया। परिवादी ने चेक अनादृत होने की सूचना मोबाइल के द्वारा विपक्षी को दिया तो विपक्षी आग बबूला हो गया और भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए धमकी दिया तथा रूपये वापस करने से इंकार कर दिया। परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.10.2023 को विपक्षी को विधिक नोटिस प्रेषित करते हुए पंद्रह दिन के अंदर जवाब न देने पर विपक्षी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद योजित करने की बात कही थी परंतु विपक्षी द्वारा नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का रूपया हड़प कर अमानत में खयानत की गयी है और नोटिस का भी पालन नही किया गया है। अतः योजित करने की आवश्यक उत्पन्न हुई।

7– परिवाद पत्र के कथनो के समर्थन में परिवादी द्वारा जरिये सूची मूल चेक, बैंक अनादृत रिपोर्ट, विधिक नोटिस की छायाप्रति एवं मूल रजिस्ट्री रसीद तथा पोस्टआफिस ट्रैकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। मौखिक साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया।

8– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्रियों का अवलोकन करने के उपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि न्यायालय को नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिन पूर्व धारा–138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है और इस मामले में दिनांक 01.11.2023 को विपक्षी पर नोटिस तामील होना बताया गया है। इन परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद अपरिपक्व है एवं वाद कारण उत्पन्न होने के पूर्व दायर किया गया है, परिवादी का परिवाद निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी परिवादी द्वारा योजित किया गया है।

9– प्रस्तुत परिवाद धारा–138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत योजित किया गया है।

10– **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा–138 के अनुसार–**

" जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किये पुनः लौटा दिया जाता है, वहां यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है.......... ।

परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नही होगी, जब तक कि–

(क) वह चेक जारी होने की तिथि से छः मास के अंदर अथवा उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व हो, बैंक में पेश नही कर दिया जाता,

(ख) चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा चेकधारक यथास्थिति बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की तिथि से तीस दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को शोध्य राशि का संदाय करने के आशय की सूचना नही दे देता, और

(ग) लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक हो, उस राशि का संदाय करने में असफल नही रहता।"

11– **धारा–142 के अनुसार–**

(1) दं०प्र०सं० 1973 में किसी बात के होते हुए भी–

(क) धारा–138 के अधीन किसी अपराध के लिए, कोई भी न्यायालय चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक के धारण के लिखत परिवाद के सिवाय, प्रसंज्ञान नही लेगा,

(ख) ऐसा परिवाद धारा–138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद हेतुक उत्पन्न होने की तिथि से एक माह के अंदर पेश कर दिया जाना चाहिएः

परंतु न्यायालय के द्वारा विहित अवधि के पश्चात् परिवाद का प्रसंज्ञान लिया जा सकता है, यदि परिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि ऐसी अवधि के दौरान उसके पास परिवाद पेश नही करने के लिए पर्याप्त कारण था।

12– प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी का कथन है कि प्रतिपक्षी की कंपनी में निवेश करने के एवज में प्रतिपक्षी द्वारा तीन लाख रूपये का चेक दिनांकित 28.06.2023 IDFC First bank का दिया गया था जिसे उसने दिनांक 11.10.2023 को अपने बैंक जनपद रायबरेली में भुगतान हेतु लगाया परंतु "खाता ब्लाक होने" की टिप्पणी के साथ बैंक द्वारा चेक अनादृत कर दिया गया। चेक अनादृत होने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 19.10.2023 को उसके द्वारा विधिक नोटिस प्रतिपक्षी को भेजा गया। नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिवस के भीतर प्रतिपक्षी द्वारा धनराशि अदा नहीं की गयी तब दिनांक 10.11.2023 को उसके द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–138 एऩ.आई. एक्ट दायर किया गया।

13– परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजो के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 28.06.2023 को प्रतिपक्षी कंपनी द्वारा परिवादी के हक में तीन लाख रूपये का चेक भुगतान हेतु परिवादी को दिया गया। रिटर्न मेमो दिनांकित 11.10.2023 के माध्यम से परिवादी को बैंक द्वारा सूचना दिया गया कि एकाउंट ब्लाक होने के कारण चेक का भुगतान प्रतिपक्षी के एकाउंट से नहीं किया जा सकता है। चेक अनादृत होने की सूचना के तीस दिवस के भीतर दिनांक 19.10.2023 को परिवादी द्वारा विधिक नोटिस प्रतिपक्षी को दिया गया। दिनांक 19.10.2023 को प्रेषित नोटिस प्रतिपक्षी जिसे जनपद सीतापुर का रहने वाला बताया गया है, उसे कब प्राप्त हुई, यह परिवादी द्वारा अपने परिवाद में स्पष्ट नही किया गया है। विधानतः नोटिस प्राप्त होने की तिथि के पंद्रह दिवस बाद वाद का कारण उत्पन्न होता है। परिवादी द्वारा दाखिल पोस्टआफिस ट्रैकिंग रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नोटिस दिनांक 21.10.2023 को प्रतिपक्षी के पते पर थाना तंबौर में पहुंच गया था परंतु पता अपूर्ण होने के कारण बिना तामील के नोटिस वापस भेज दिया गया। जिस पते पर नोटिस भेजा गया था, वह पता अपूर्ण अथवा गलत था इस सम्बन्ध में प्रतिपक्षी द्वारा कोई कथन नही किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में इस बात की अवधारणा किया जा सकता है कि दिनांक 19.10.2023 को प्रेषित नोटिस दिनांक 21.10.2023 को प्रतिपक्षी पर तामील हो गया। नोटिस तामील होने के बाद दिनांक 22.10.2023 से पंद्रह दिवस बाद अर्थात् दिनांक 06.11.2023 के बाद परिवादी को चेक धनराशि का भुगतान न होने पर वाद का कारण उत्पन्न था और परिवादी द्वारा यह परिवाद वाद का कारण उत्पन्न होने के उपरांत दिनांक 10.11.2023 को दायर किया गया है।

14– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में विपक्षी पर नोटिस की तामीला तिथि दिनांक 01.11.2023 मानने में विधिक भूल किया गया है। ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.11.2023 की तिथि वह तिथि है, जब कि परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस अपूर्ण पते की टिप्पणी के साथ उसे वापस कराई गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन न करके विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं०–129/2025 दीपक कुमार बनाम शरद कुमार आदि अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट थाना–कोतवाली नगर, रायबरेली स्वीकार की जाती है।

परिवाद सं०–30843/2023 दीपक कुमार बनाम शरद कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 06.03.2025 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि ऊपर व्यक्त किये गये अभिमत के आलोक में पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अविलंब वापस भेजी जाये।

दिनांक–28.04.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–28.04.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.04.29 15:33:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli